हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
अधिसूचना
दिनांक 17 अगस्त, 2017

क्रमांक–11/45/2017–4श्रमः जैसा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सन् 1999 के डब्ल्यू. पी. 4604–06 और अन्य मामलों में दिये गये निर्णय में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 (1) (बी) को असंवैधानिक घोषित किया गया है और इसे अपास्त किया गया है। जिसके आधार पर, अब महिलाओं को रात्रि की पाली अर्थात रात्रि 07.00 बजे से सुबह 06.00 के दौरान कारखानों में नियोजित किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस फैसले के तहत रात्रि पाली में महिलाओं को नियुक्त करने के लिए उनकी रक्षा और सुरक्षा के संबंध में कुछ शर्तो को भी निर्धारित किया है ताकि महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 (1) (बी) के साथ ही उसके परन्तुक को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के उल्लंघन के फलस्वरूप असंवैधानिक घोषित किया है और अब उक्त प्रावधान कारखानों में महिलाओं को रात्रि पारी में कार्य करने के अधिकार में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार रात्रि की पाली अर्थात रात्रि 07.00 बजे से सुबह 06.00 के दौरान कारखानों में महिला श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति देगी।कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कोई भी फैक्टरी इस छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस तरह की छूट सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। छूट निम्नलिखित शर्तो पर दी जायेगीः–

1. नियोजक तथा अन्य उतरदायी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्य स्थल अथवा संस्थान में संभावित यौन उत्पीड़न के कृत्य अथवा घटना होने से रोकें तथा ऐसी घटना घटित होने पर उनका विवरण तथा अभियोजनात्मक कार्रवाई करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें।
2. सभी नियोजक अथवा कारखाना या कार्य स्थल के प्रभार के व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएः–
   (i) किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न, जिसमें अवांछनीय यौन सम्बंधी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर सम्मिलित हो, जैसा कि – शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति

के लिए मॉग अथवा अनुरोध, कामासक्त फब्तियॉ, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवॉछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरणको निषेध किया जाए।

(ii) यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आचरण तथा अनुशासन बाबत नियम या विनियमन् कारखाना प्रबंधक द्वारा बनाया जायेगा तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरूद्ध समुचित दण्ड की व्यवस्था के साथ कारखाने में वर्तमान में लागू स्थाई आदेश में आवश्यक संशोधन भी किया जाए।

(iii) कारखाने में उपयुक्त कार्य दशा जिसमें कार्य करने, अवकाश के समय, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का वातावरण उपलब्ध हो, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए प्रदूषित वातावरण नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिए यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके नियोजन से सम्बन्धित कोई अलाभकारी स्थिति है।

3 किसी आपराधिक प्रकरण की स्थिति में नियोजक दण्डनीय कानून के प्रावधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगें कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाह उत्पीड़ित न हों तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव न बरता जाये। जहां कहीं आवश्यक हो, तो पीडीत कर्मचारी के अनुरोध पर अपराधी को बदलने या स्थानांतरित करने की यथा संभव व्यवस्था करें।नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण की परिधि में आता हो।

4 नियोजक कारखाने में, शिकायत की सुनवाई के लिए समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करेंगे। ऐसी व्यवस्था के तहत एक शिकायत–समिति, विशेष सलाहकार अथवा अन्य सहायक सेवाएं, जिसमें गोपनीयता बनाएं रखने की व्यवस्था भी शामिल हो।

5 इस प्रकार की सभी शिकायत समिति की मुखिया एक महिला होगी तथा उसमें महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम न हो, इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि शामिल हो, जो यौन उत्पीड़न के मामलों से भलीभॉति परिचित हो।

6 महिला श्रमिकों को श्रमिकों की बैठक में तथा अन्य उपयुक्त मंचो पर श्रमिकों के यौन उत्पीडन के मुद्दे उठाने की अनुमति होनी चाहिए।

7 महिला कर्मचारी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए तथा विषय संबंधित निर्देशों को प्रमुखता से अधिसूचित किया जाये।

8 जहॉं यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष द्वारा की जाए, नियोजक अथवा कारखाने का अधिभारित व्यक्ति किसी अधिनियम अथवा छूट के तहत प्रभावित व्यक्ति की सहायता के लिए समर्थन और निवारक कार्रवाई के रूप मेंसभी प्रकार के आवश्यक तथा उचित कदम उठाये।

9 नियोजक न केवल कारखाने के अंदर, बल्कि कारखाने के चारों ओर भी तथा ऐसी समस्त जगह जहां पर महिला श्रमिक रात्रिकालीन पारी के दौरान आवश्यकतानुसार आतीं–जाती हों, प्रकाश की समुचित व्यवस्था करेंगें।

10 नियोजक यह भी ध्यान रखें कि महिला श्रमिक 10 से कम संख्या के बैच में नियोजित न की जायें तथा रात्रि पारी में कारखानों में नियोजित महिला श्रमिकों की संख्या, कुल संख्या के दो तिहाई से कम न हों।

11 रात्रि पारी के दौरान प्रवेश तथा निर्गम द्वार पर महिला सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो।

12 महिला श्रमिकों के समय पूर्व आगमन तथा कार्य अवधि के पश्चात्बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यशालिका की व्यवस्था हो।

13 महिला श्रमिकों के लिए पृथक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध हो।

14 नियोजक महिला श्रमिकों को रात्रि पारी के लिए उनके घर से आने जाने हेतु सुरक्षा गार्डस युक्त (महिला सुरक्षा गार्ड सहित) परिवहन सुविधा प्रदान करेगा तथा प्रत्येक परिवहन वाहन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो।

15 कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त महिला श्रमिकों को माहवारी की अवधि में एक अतिरिक्त अवकाश की सुविधा भी दी जाए, जो कि रात्रि पारी के लिए सवैतनिक अवकाश के बराबर हो।

16 कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा जिस पारी में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें पृथक से एक वाहन रखा जाए ताकि चोट लगने अथवा उत्पीडन के आकस्मिक कृत्यों जैसी तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुॅंचाया जा सके।

17 जिस कारखाने में महिला श्रमिकों के लिये भोजन तथा आवास की व्यवस्था प्रदान हो, वह केवल महिलाओं के लिए हो तथा यह व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाईजर के नियंत्रण में हो।

18 रात्रि पारी के दौरान सुपरवाईजर या सिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य सुपरवाईजरी स्टाफ में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

19 महिला श्रमिकों को दिन की पारी से रात्रि की पारी तथा रात्रि की पारी से दिन की पारी में बदले जाने कि अवस्था में अंतिम पारीतथा रात्रि पारी के बीच में कम से कम 12 घंटे का निरंतर विश्राम अथवा अंतर हो।

20 कार्य घंटों के संदर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियमों के वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त तथा समान पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुसरण भी नियोजक द्वारा किया जायेगा।

21 नियोजक प्रत्येक रात्रि पारी में कम से कम दो महिला वार्डन की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगी।

22 महिला श्रमिक जो रात्रि पारी तथा नियमित पारी में काम करती हों, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्य नियोजक के साथ मासिक बैठक तथा 8 सप्ताह में एक बार 'शिकायत दिवस' के रूप में बैठककरें हो तथा नियोजक सभी उचित एंव न्यायोचित शिकायतों का निस्तारण करने की कोशिश करें।

23 नियोजक आंशिक अथवा समग्र रूप से रात्रि पारी में महिला श्रमिकों को नियोजित करने हेतू स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन हो।

24 नियोजक रात्रि पारी में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को प्रत्येक 15 दिन में एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा किसी भी आकस्मिक घटना का तत्काल प्रतिवेदन कारखाना निरीक्षके तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा।

दिनांक, चण्डीगढ,
09.08.2017

विजय वर्धन
अतिरिक्ति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

पृष्ठाकन कमांक 11/5/2012–4श्रम दिनांक 17.08.2017

एक प्रति नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजी जाए ।

-Sd-
अधीक्षक, श्रम
कृतेः अतिरिक्ति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

IT Cell

पृष्ठाकन कमांक 11/5/2012–4श्रम दिनांक 17.08.2017

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (ए0व ई) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. अतिरिक्त निदेशक (आई0 एस एण्ड एच), मुख्यालय, कार्यालय श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
4. आई0टी0 सैल मुख्यालय, कार्यालय श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

अधीक्षक, श्रम
कृतेः अतिरिक्ति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।